कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/निजी/2016–17 दिनांक : 15.12.2017

अत्यावश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषय : शालादर्पण पर प्रारम्भ किए गए छात्रवृत्ति के मॉड्यूल में छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों का विवरण निर्धारित समयावधि में अंकित करने हेतु।

प्रसंग : शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 04.10.2017 का कार्यवाही विवरण कमांक–पं.18(5)शिक्षा–6/2017 दिनांक–26.10.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण की अनुपालना में शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है। चालू वर्ष 2017–18 से निम्नांकित 10 छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त करने एवं वितरण करने का कार्य शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के निर्देशानुसार अनिवार्यतः शालादर्पण पोर्टल से किया जाना है। अतः समस्त संस्था प्रधान निम्नांकित मार्गदर्शक बिन्दुओं की पालना करते हुए शालादर्पण पोर्टल पर दिनांक **31.12.2017 तक** अनिवार्यतः समस्त अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विद्यालय के निम्नांकित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र विद्यार्थियों का अंकन किया जाना है–

क्र.स.	छात्रवृति योजना का नाम
1	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6 से 8)
2	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 6 से 8)
3	अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 9 से 10)
4	अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 9 से 10)
5	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृति
6	अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति
7	विशेष पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति
8	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों के लिए छात्रवृति
9	प्री–कारगिल (01.04.99 से पूर्व) युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृति
10	कारगिल युद्ध के पश्चात (01.04.99 के पश्चात) युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों को बच्चों को देय छात्रवृति

2. छात्रवृत्ति मॉड्यूल में पात्र विद्यार्थियों का अंकन करने के लिए शालादर्पण पोर्टल पर एकदम दाईं ओर **स्कॉलरशिप टैब** की ड्रॉप–डाउन सूची में Identification & Scholarship, Verify Details for Scholarship, Scholarship Application तथा Scholarship Summary Report विकल्प दिए गए हैं। विद्यालय द्वारा इनपर क्रमशः कार्य किया जाना है।

3. समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र अन्तिम तिथि 31.10.2017 तक विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं तद्नुसार विद्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र विद्यार्थियों का विवरण 41 कॉलम की शीट में दर्ज किया जा चुका है। उक्त 41 कॉलम की शीट अथवा प्राप्त आवेदन पत्रों की सहायता से शालादर्पण पर छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों का चिन्हीकरण किया जाना है।

4. <u>शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में आधार कार्ड नंबर एवं भामाशाह कार्ड नम्बर अनिवार्य (mandatory) हैं। इनके अभाव में मॉड्यूल पर विद्यार्थी का चिन्हीकरण नहीं किया जा सकेगा।</u>

5. विदित रहे कि राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार की लाभकारी योजनाओं हेतु राशि का भुगतान "भामाशाह रेजीडेन्ट डाटा हब" के माध्यम से किए जाने का एक्ट पारित कर दिया है। अतः समस्त लाभार्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके परिवार का भामाशाह कार्ड अनिवार्य रूप से बना हुआ हो। भामाशाह कार्ड न होने की स्थिति में कक्षाध्यापक एवं संस्थाप्रधान का दायित्त्व होगा कि वे लाभार्थी विद्यार्थी के माता–पिता से सम्पर्क कर उनका भामाशाह पंजीयन करवाते हुए शालादर्पण पोर्टल पर यह पंजीयन संख्या अंकित करते हुए कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। भामाशाह कार्ड संख्या अथवा भामाशाह पंजीयन संख्या दोनों ही नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। सम्बन्धित कक्षाध्यापक एवं संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र विद्यार्थी भामाशाह पंजीयन के अभाव में छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

6. समस्त संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी विद्यार्थियों की बैंक खाता संख्या जो कि शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय द्वारा अंकित की जा रही है को भामाशाह कार्ड से अटैच करवाया जावे। इसके लिए ध्यान रखने योग्य यह है कि यदि विद्यार्थी का नए सिरे से भामाशाह पंजीयन करवाया जा रहा है तो पंजीयन के साथ–साथ उसका बैंक खाता भी भामाशाह डाटा बेस पर अटैच करवा दिया जावे। यदि विद्यार्थी का भामाशाह कार्ड पहले से ही बना हुआ है तो बैंक खाता अटैच किए बिना ही आवेदन की प्रकिया तो सम्पन्न की जा सकेगी परन्तु माह–जनवरी 2018 के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में अभियान स्तर पर उन विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या भी भामाशाह डाटा बेस पर अटैच करवाने की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जावे।

7 ध्यान रहे कि शालादर्पण पोर्टल से डाटा को "भामाशाह रेजीडेन्ट डाटा हब" पोर्टल पर स्थानान्तरित कर छात्रवृत्ति के विपत्र भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय कार्यालयों द्वारा प्रोसेस किए जाएंगे तथा उस समय वे सभी लाभार्थी जिनके बैंक खाता संख्या भामाशाह डाटा बेस पर अटैच नहीं होंगे उनके खाते में राशि अंतरित नहीं हो पाएगी। अतः समस्त संस्थाप्रधान सुनिश्चित करेंगे कि अनिवार्यतः 15 जनवरी 2018 तक समस्त लाभार्थी विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या भामाशाह डाटा बेस पर अटैच करवाने की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जावे।

8. शालादर्पण पर कार्य करते समय सामने आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु श्री राजेन्द्र प्रसाद मील, सहायक निदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ से मोबाईल नं 9460641046 अथवा 8118852336 तथा सामान्य छात्रवृत्ति योजनाओं सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु श्री संजय सेंगर, सहायक निदेशक, छात्रवृत्ति से मोबाईल नं 9414324303 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

15/12/17

प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/निजी/2016–17 दिनांक : 15.12.2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6) विभाग, जयपुर
2. समस्त मण्डल उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को प्रभावी प्रबोधन एवं मॉनेटरिंग हेतु।
3. समस्त संस्थाप्रधान रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

15/12/17

प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर